



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
Central Board of Secondary Education



संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0

As per new Affiliation Bye-Laws

Contact Us

Grant Letter for- EX-02137-2122

NO : CBSE/AFF/1030822 /EX-02137-2122/2021-22/

Dated: 01/10/2020

The Manager,
GURUDEV INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
NEAR KAYADI RAILWAY STATION, MOUJA KAYADI, POST - WARA SEONI, DIST BALAGHAT
MADHYA PRADESH, BALAGHAT, 481331
(M: 07633281555)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding
Ref: Application No. EX-02137-2122

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No : 1030822
Affiliated for : Senior Secondary
Category : Extension of General Affiliation
Period of Extension of : 01.04.2021 to 31.03.2026

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

1. The school will follow the **RTE Act, 2009** and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
2. The School is required to apply online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
3. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
4. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
5. The school should go through the provision of **Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy thereof** for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
6. The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.
7. **Admission to the school** is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
8. The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
9. The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
10. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.
11. The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc
12. The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website: www.cbse.nic.in
13. The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
14. Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
15. Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.
16. The Manager and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/ information/data submitted by the School to the Board.
17. Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead

This site is Designed and Developed by IT & Project Department CBSE.

Approved

18. The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018
19. The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show case /legal notice/ complaint and for submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cessation of previous validity of extension of affiliation
20. The school is required to remit pending fee, if any
21. The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where the Show Cause Notice was communicated or grievance / legal cases are pending against the school, the Board will take appropriate decision in this matter
22. The school shall renew all mandatory safety certificate i.e Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate, Fire Safety Certificate and Building Safety Certificate from concerned Govt authorities time to time
23. The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms
24. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

Deputy Secretary/ Joint Secretary(Affiliation)

This is a computer-generated document. No signature is required.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

CBSE/AFF/SS-00309-1819/1030822/2018/1420751

Dated: - 04.10.2018

The Manager,
Gurudev International Public School
Near Kayadi Railway Station, Mouja Kayadi,
Post - Wara Seoni,
Dist Balaghat- 481331.

SUB: CORRIGENDUM - UPGRADATION TO SENIOR SECONDARY LEVEL – REG.

This is in continuation to this office letter No. CBSE/AFF/1030822/SS-00309-1819/2018-19 dated 19/06/2018 conveying thereby grant of Upgradation to Senior Secondary Level w.e.f. 01.04.2018 to 31.03.2021. I am to inform you that subjects in which the school was granted upgradation may be read as under:

- Languages:-English Core, English Elective, Hindi Core, Hindi Elective**
- Elective Subjects: Economics, Accountancy, Business Studies, Biology, Chemistry, Mathematics and Physics**

The rest of the contents of the above mentioned sanction letter would remain same.

JOINT SECRETARY (AFFL.)

CBSE/AFF/SS-00309-1819/1030822/2018

Copy to:-

- The Principal, Gurudev International Public School, Near Kayadi Railway Station, Mouja Kayadi, Post - Wara Seoni, Dist Balaghat-481331.**
- The Regional Officer, Regional Office CBSE, Todar mal Marg, Ajmer, Rajasthan – 305 030.**
- The Under Secy School Education Department, M.P. Administration Ministry, Vallabh Bhawan, Bhopal**
- The R.O. (T), AMC Unit, CBSE, Preet Vihar, Delhi.**

JOINT SECRETARY (AFFIL.)

PRINCIPAL

Gurudev International
Public School, Balaghat

सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092

Shiksha Kendra - 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092

फोन : Telephone : -91-11-22520342, 22520257. ईमेल : E-mail : cbse.aff@nic.in / Website: www.cbseaff.nic.in

2229/12
8/11/12

6

XXX-Part.-21

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र

क्रमांक ... 04/21/01-14836/12

यह प्रमाणित किया जाता है कि गुलपेव शिक्षण समिति
समिति जो M.P.-17 एवं 18, , तहसील बालाघाट
जिला बालाघाट में स्थित है, मध्यप्रदेश
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)
के अधीन 7/11/2012 को पंजीयित की गई है।

दिनांक सात माह नवम्बर सन् 2012



M. K. G.

PRINCIPAL
Govt. Gyanodaya Residential School
Ranhi Jabalpur (M.P.)

(जे. के. दुबे)

असिस्टेंट रजिस्ट्रार
समाप्तियों के रजिस्ट्रार

Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Ranhi, Distt. GONDA.

प्रारूप सात
(नियम 11 देखिये)

587/19
30/3/19

मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 (क. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

सोसाइटी का नाम और पूरा पता

गुरुदेव शिक्षण समिति

एम. आई. जी. 17 एवं 18 प्रेमनगर बालाघाट, तहसील,
ब जिला बालाघाट (म.प्र.)

04/21/01/14836/12 दिनांक 07/11/2012

30-06-2019

कार्यकाल तारीख 30-06-2019 से 29-06-2022 तक

1. मंजीबून कमाक तथा तारीख
2. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख
3. सिद्धान्त पदाधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम, पता, शासी निकाय	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री. हरिचंद जी हिरावत पिता श्री ज्ञानचंद जी हिरावत	एम. आई. जी. 17 एवं 18 प्रेमनगर बालाघाट तहसील ब जिला बालाघाट (म.प्र.)	अध्यक्ष	व्यवसायी	
2	श्री. सुनय वैद्य पिता श्री अनय कुमार वैद्य	कुम्हारी मोहल्ला बालाघाट तहसील ब जिला बालाघाट (म.प्र.)	उपाध्यक्ष	व्यवसायी	
3	श्री. सुरेश कुमार जैन पिता श्री नागोलाल जी कोचर	पूजा साड़ी सेंटर, इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट तह. ब जिला बालाघाट	सचिव	व्यवसायी	
4	श्री. गुलाब प्रारख पिता श्री रंजय प्रारख	समर्पण कानठी लाइन, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव,	संयुक्त सचिव	व्यवसायी	
5	श्री. संजय कोचर पिता श्री रातिलाल जी कोचर	शांति ज्वेलर्स, मेन रोड, बालाघाट तह. ब जिला बालाघाट	कोषाध्यक्ष	व्यवसायी	
6	श्रीमति. चंचल जैन पति श्री सुरेश कुमार जैन	पूजा साड़ी सेंटर, इतवारी बाजार मेन रोड, बालाघाट तह. ब जिला बालाघाट	कार्यकारिणी सदस्य	गृहणी	
7	श्रीमति. सोना जैन पति श्री डॉ. विभुज जैन	घौंघे कॉलोनी, रायपुर तह. ब जिला रायपुर (छ.प्र.)	कार्यकारिणी सदस्य	गृहणी	
8	श्रीमति. सुधा हिरावत पति श्री दीपक हिरावत	म. आई. जी. 17 एवं 18 प्रेमनगर बालाघाट तहसील ब जिला बालाघाट (म.प्र.)	कार्यकारिणी सदस्य	गृहणी	
	श्री. कनकेश वैद्य पिता श्री पारसमल जी वैद्य	महावीर कॉलोनी, न.न. 23 दुर्ग (छ.प्र.)	कार्यकारिणी सदस्य	व्यवसायी	

मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 (क. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।


मैं दीपक हिरावत पिता श्री ज्ञानचंद जी हिरावत आयु लगभग वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझे अद्यतन अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का बायीं हो रहूँगा।

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

PRINCIPAL
Gurudev International
Public School, Balaghat

Deepak Hirawat
Chairman
Gurudev International Public School
Balaghat (M.P.) 481001

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BALAGHAT), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक/45305206/स्कूल आई.डी. - 42266

दिनांक:- 22/03/2019

प्रति,

प्रबंधक,

(Gurudev International Public School)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 19/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पधातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के लक्ष्य में, मैं आपकी स्कूल - Gurudev International Public School, Gurudev International Public School KAYDI WARASEONI Railway Station Road Kaydi, Block waraseoni Dist Balaghat को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा वर्ष 1 से आगे की मान्यता संबंधित की कोई वास्तविक किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पक्षों की सीमा के पक्षित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में स्कूल यदि तहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें वर्गीकृत बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्ति व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्ति तहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पठ्यपुस्तक प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जरूरी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को प्रयत्न में रोक खाली उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपिटेशन बीस का समूह नहीं करेगा तथा बालक या बालिका या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी अनप्रीति प्रक्रिया को नहीं अपनानेगा।
- स्कूल किसी भी बालक का प्रवेश देने में इकार नहीं करेगा।
 - (क) आयु के लक्षण के अभाव में।
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पन्चांग रखा प्रवेश चाहा गया है।
 - (ग) धर्म, जाति या नस्ल, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि:-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में राखा या नियोजित नहीं किया जाएगा।
 - किसी बालक को प्रारंभिक या मानसिक रूप से परभावित नहीं किया जाएगा।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - नियम 10 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा।
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण की धर्ती की सारणी बशर्त कि बर्तमान में कार्यालय या शिक्षण इस अधिनियम के पारम्भ होने पर न्यूनतम अक्षा नहीं रखता है, उन्हें अधिनियम के पारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अक्षा प्राप्त करनी होगी।
 - शिक्षण को अधिनियम की धारा 24.1 के अधीन निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा।
 - वाचर्डेट टेस्टिंग की प्रतिवेदनिका में शिक्षण स्तर आता नहीं होगा/लगा।
- स्कूल सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 18 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुसार की स्कूल में वर्धों का सन्तुलन किया जाएगा।

PRINCIPAL
Gurudev International
Public School, Balaghat

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	176800	176800
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	29700	29700
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	45000	45000

ड. अधोसंरचना का विवरण

	कक्षा	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज संख्या	अंतिम आकार (वर्ग फीट में)	वास्तविक स्थिति संख्या	अंतिम आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		16	600	16	600
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		2	600	2	600
3	भोजनालय-सह-भण्डार		1	800	1	800

च. अन्य सुविधाएँ

	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हा/नहीं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हां	हां
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हां	हां
4	पुस्तकों की संख्या	300	300
5	पत्रिकाएं/सप्ताचार पत्र	5	2
6	पंपजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पंपजल सुविधा की संख्या	3	3
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	3
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	3
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	0	0
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हा/नहीं	हां	हां

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा घाटंड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेख विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगे। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..45305206.. एवं ड्राईसकोड (DISE) 23450700115 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला BALAGHAT मध्य प्रदेश

PRINCIPAL
Gurudev International
Public School, Balaghat

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	176800	176800
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	29700	29700
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	45000	45000

ड. अधोसंरचना का विवरण

	कक्षा	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	वास्तविक स्थिति संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा		16	600	16	600
2	कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्षा-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा		2	600	2	600
3	भोजनालय-सह-भण्डार		1	800	1	800

च. अन्य सुविधाएँ

	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हा/नहीं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हां	हां
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हां	हां
4	पुस्तकों की संख्या	300	300
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	5	2
6	पंचजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पंचजल सुविधा की संख्या	3	3
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	3
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	3
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	0	0
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हा/नहीं	हां	हां

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगे। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..45305206.. एवं ड्राईसकोड (DISE) 23450700115 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएंगे।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदणों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएंगे।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला BALAGHAT मध्य प्रदेश

PRINCIPAL
Gurudev International
Public School, Balaghat

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, पी०आई०यू० बालाघाट

Phone No. 07632-247833


E-mail adders - dpebalaghat@gmail.com

ज्ञापन क्रमांक / . / भवन, पी.आई.यू. / 2017 बालाघाट, दिनांक -19/05/17

Certificate

This is to certify that the school building of 'GURUDEV INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL, KAYDI' has been inspected and structure seems usable for the purpose of school and safe for the students. The school building has arrangements for the natural calamities i.e sudden failure of stone patties, earthquakes, fire, flood etc.

The certificate is valid for three sessions 2017-2020


सहायक परियोजना यंत्री
लो०नि०वि०, पी.आई.यू.-15
बालाघाट (म.प्र.)



Fire & Safety Engineer

B.Sc., Diploma Fire Eng., N.F.S.C. Nagpur,

L.S.G.D. Mumbai

Ret. Chief Fire Officer, Gondia

Authorised Auditor & Fire License Agency

Mob.: 9422131015
Off.: 07182-233458

Fire Service Medal Awarded by the Government of India, New Delhi, 1993

Ref.:

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Date: 21-11-17

Certified that the Gurudev International Public School Kaydi at Station Road At. Post-Kaydi Teh. Waraseoni Dist. -Balaghat comprised of G+2 floors owned/occupied by Gurudev International Public School Kaydi Balaghat have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 22/11/2017 in the presence of Principal and that the building/premises is fit for occupancy class Educational Building 'B' with effect from 22/11/2017 for a period of One years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 22/11/2017 at Village - Kaydi Teh.-Waraseoni Dist.-Balaghat by



K. S. BHARDWAJ
B.S.C. Dip. in Fire Eng.
L.S.G.D. Ret. Fire Officer
Fire Service Medal Awarded

Signature with Seal :

Name : K.S. Bhardwaj

Designation : Ret. Fire Officer

Municipal Council

Gondia.

PRINCIPAL
Gurudev International
Public School, Balaghat

महाराष्ट्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
नगरालय
वृत्ताभ भवन भाषाल-482004

क्रमांक- 73-26/204/20-3

भाषाल, दिनांक 28/6/14

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रोत विहार, नई दिल्ली।

विषय - अशासकिय शिक्षण संस्थान गुरुदेव इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल कायदी
जिला बालाघाट, MOPO को सीबीएसई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विपरीत संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र
के आधार पर संस्था को सीबीएसई से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है -

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने
के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण
संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिला के प्रबंध एवं विकास के
संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- (2) संस्था की प्रवेश कारणी सामान्य में जिला शिक्षा अधिकारी, बालाघाट
(MOPO) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना
होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों
के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था
होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध
में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को
करना होगा।

महाराष्ट्र के गवर्णर के नाम से
तथा आदेशानुसार

(क.अर.उपाध्याय)
अवर सचिव

महाराष्ट्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
28/6/14

पृष्ठ संख्या एक तमाक-73-24/2014/20-3

भापाल, दिनांक 28/6/14

प्रतिलिपि -

1- जशासकय शिक्षण संस्थान गुरुदेव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल
कयदी जिला बालाघाट न090 को सीबीएसई से सम्बद्धता/मान्यता हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -

(1) संस्था सीबीएसई के अनुसूच्य मापदण्डों को पूर्ण करती है अथवा तब
इसका परीक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत
आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने
पर या उसका पालन नहीं करने पर जयपुर राज्य शासन द्वारा
समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या
ग्रात शिकायत जांच में सहो पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा
जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2- आयुक्त लोक शिक्षण भापाल मध्य प्रदेश
3- जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट न090।
4- ऑर्डर पुक

 28/6/14
अंतर सचिव

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

02
28/6/14